भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 629
07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

पीएलआई योजना के अंतर्गत स्टील के उत्पादन में वृद्धि

629. श्री संजय सेठ:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत घरेलू इस्पात उत्पादन को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से निर्माण, ऑटोमोटिव और रक्षा क्षेत्रों में, की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएलआई योजना से किस प्रकार 27,106 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने और महत्वपूर्ण डाउनस्ट्रीम क्षमता सृजित किए जाने की अपेक्षा है;

(ग) सरकार की इस्पात क्षेत्र में संवृद्धि के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार करने में क्या भूमिका है;

(घ) इस्पात की खपत पर इन पहलों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) ये प्रयास भारत के व्यापक आर्थिक विकास लक्ष्यों के साथ कैसे मेल खाते हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) और (ख): विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना देश में मूल्य-वर्द्धित इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के लिए निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना में पांच व्यापक उत्पाद श्रेणियां नामत: कोटेड/प्लेटेड इस्पात उत्पाद, उच्च शक्ति/टूट-फूट प्रतिरोधी इस्पात, स्पेशियलिटी रेल्स, एलॉय स्टील के उत्पाद एवं स्टील वायर तथा इलेक्ट्रिकल स्टील शामिल हैं।

(ग) से (ड.): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करके एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभाती है। सरकार ने देश में इस्पात उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा और निवेशों का विस्तार:

क. सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

ख. देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का शुभारंभ।

ii. कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार और कच्चे माल की लागत कम करना:

क. फेरो निकल, जो एक कच्चा माल है, का आधारभूत सीमा शुल्क 2.5% से घटाकर शून्य करते हुए इसे शुल्क मुक्त करना।

ख. बजट 2024 में, फेरस स्क्रैप पर शुल्क की छूट को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाना।

iii. आयात निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण:

क. स्वदेशी इस्पात उद्योग को आयातों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयातों की प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप देना।

ख. इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश की शुरुआत करना, जिससे उद्योग, उपयोगकर्ताओं और आम जनता को गुणवत्तापूर्ण इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयात के साथ-साथ स्वदेशी बाजारों में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जा सके।

******